

# सार्वजनिक नोटिस

निदेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हरियाणा, चंडीगढ़ ने जापन संख्या ZP-1351/PA(DK)/2023/35897 दिनांक 25/10/2023 के माध्यम से ग्राम हयातपुर, सेक्टर-89, गुरुग्राम की राजस्व संपत्ति में, 5.44375 एकड़ क्षेत्र में एक अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी स्थापित करने के लिए संशोधित भवन योजनाओं के अनुमोदन के लिए (2019 का लाइसेंस संख्या 89 दिनांक 02.08.2019 और 2022 का लाइसेंस संख्या 2 दिनांक 06.01.2022), सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। जिसे सिग्नेचरग्लोबल (इंडिया) लिमिटेड (जिसे पहले सिग्नेचरग्लोबल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) द्वारा विकसित किया जा रहा है।

उक्त सैद्धांतिक मंजूरी के अनुसार, निदेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हरियाणा, चंडीगढ़ ने कंपनी को प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से बिल्डिंग प्लान में उक्त संशोधन के बारे में मौजूदा आवंटियों को सूचित करने का निर्देश दिया है और तदनुसार नोटिस जारी किया गया है। उनकी जानकारी और यदि कोई आपत्ति है, तो उसे इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर वरिष्ठ नगर योजनाकार, गुरुग्राम के कार्यालय में भेजा जा सकता है। दी गई उक्त अनुमति हमारी वेबसाइट [www.signatureglobal.in](http://www.signatureglobal.in) पर भी अपलोड/होस्ट की जा रही है

एसडी/-

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सिग्नेचरग्लोबल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्व में सिग्नेचरग्लोबल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

सीआईएन: U70100DL2000PLC104787

पंजीकृत-13वीं मंजिल, डॉ. गोपाल दास भवन,  
28 बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001

स्थान- नई दिल्ली

दिनांक: 04/11/2023